

बिहार गजट असाधारण अंक

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 ਕੈਂਕ 1938 (श0) (सं0 पटना 283) पटना, बुधवार, 6 अप्रील 2016

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

6 अप्रील 2016

सं० एल0जी0-01-07/2016/64-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 5 अप्रील 2016 को अनुमित दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 6, 2016]

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016

प्रस्तावना :- राज्य सरकार बिहार के अधीन समूह ग के गृह (आरक्षी) विभाग एवं अन्य विभागों के पद जिनके लिए शारीरिक माप/जाँच या दक्षता परीक्षण अनिवार्य है एवं ऐसे अन्य पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-I

- 1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।-** (1) यह अधिनियम **बिहार पुलिस** अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा ।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (3) यह उस तिथि से प्रवृत होगा, जिस तिथि को राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में नियत करें ।
 - 2. परिभाषाएँ 1-इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो -
 - (i) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है **बिहार पुलिस** अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 ;
 - (ii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन गठित **बिहार पुलिस अवर सेवा** चयन आयोग;
 - (iii) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;
 - (iv) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची ।

अध्याय-II

- 3. **आयोग का गठन** ।- **बिहार पुलिस अवर सेवा** आयोग का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जाएगा ।-
 - (i) **अध्यक्ष**-राज्य सरकार के गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के सेवा-निवृत्त अथवा सेवारत पदाधिकारी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/नामित किया जायेगा ।
 - (ii) सदस्य- (क) राज्य सरकार का गृह (आरक्षी) विभाग पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के गृह (आरक्षी) विभाग के सेवानिवृत या सेवारत दो अधिकारियों को सदस्य के रूप में नियुक्त/नामित करेगा ।
 - (ख) उक्त दो सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष द्वारा **''सदस्य-सचिव''** के रूप में नामित किया जायेगा ।
 - (ग) राज्य सरकार का गृह (आरक्षी) विभाग अन्य विभागों, यथा गृह विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, परिवहन विभाग, एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के अधिकतम 2 (दो) सदस्य नामित करेगा ।

उक्त सदस्यों में कम से कम एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय एवं एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के होगें ।

4. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल ।-आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा उनके अड़सट वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के कार्यकाल का विस्तार उस अविध के लिए जो विनिश्चित किया जाय, किया जा सकेगा :

परन्तु और कि यदि राज्य सरकार को युक्तियुक्त रूप से समाधान हो जाए कि अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य अथवा सभी सदस्यों का आयोग में बने रहना लोक हित के विरूद्ध है अथवा उनके बने रहने से आयोग का सुविधाजनक कार्य- संपादन बाधित हो सकता है, तो राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष या/और वैसे किसी अन्य सदस्य या सभी सदस्यों को विनिश्चित कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी पदों से हटाया जा सकेगा ।

5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र-सीमा ।- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति के समय अधिकतम आयु-सीमा 65 (पैंसठ) वर्ष होगी ।

- **6. आयोग का मुख्यालय एवं प्रशासी विभाग ।** आयोग का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा एवं गृह (आरक्षी) विभाग आयोग का प्रशासी विभाग होगा ।
- 7. अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारी ।- आयोग के कार्य संचालन हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन किया जायेगा एवं उनकी सेवा-शर्तें, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुरूप होंगी ।

अध्याय-III

- 8. सेवाएँ संवर्ग एवं पद जिनके लिए नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा कर सकेगा ।-
- (1) आयोग, इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सिम्मिलित, अधिकतम रू० 4200/- (चार हजार दो सौ) ग्रेड पे तक वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समूह 'ग' के सभी विशिष्ट वर्दीधारी संवर्ग एवं पदों जिसमें विहित शारीरिक जाँच एवं दक्षता परीक्षण शामिल हों एवं अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा ।
- (2) यदि आवश्यक हो, अधिनियम की अनुसूची को, समय-समय पर, गृह (आरक्षी) विभाग के द्वारा अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया जा सकेगा ।
- 9. चयन की प्रक्रिया I- (1) आयोग, संलग्न अनुसूची के संवर्गीय पदों हेतु संबंधित पदों/विभागों की सेवा संवर्ग नियमावली के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन कर सकेगा :

परन्तु किसी पद हेतु सेवा संवर्ग नियमावली के नहीं होने की स्थिति में, राज्य सरकार की पूर्वानुमित से, आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी चयन-नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन आयोग कर सकेगा ।

- (2) आयोग सदृश अर्हता वाले पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सकेगा ।
- 10. समूह 'ग' के संवर्गीय पदों से संबंधित लंबित चयन प्रक्रिया का अंतरण I- इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित वैसे सभी संवर्गीय पदों पर जिनके संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अथवा किसी अन्य आयोग अथवा पर्षद् द्वारा इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित नहीं किया गया हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा पूर्ण की जायेगी :

परन्तु, इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित वैसे सभी संवर्गीय पदों पर, जिनके संबंध में अन्य किसी आयोग अथवा पर्षद् द्वारा इस अधिनियम के लागू होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित किया जा चुका हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई पूर्ववत संबंधित आयोग अथवा पर्षद् द्वारा ही पूर्ण की जायेगी।

अध्याय- IV

- **11. वित्तीय प्रावधान ।** (1) आयोग के कार्यालय और आयोग के कार्य संपादन में होने वाला सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।
- (2) आयोग विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों से, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित परीक्षा फीस प्राप्त कर सकेगा, जो आयोग द्वारा, राज्य कोषागार में उपयुक्त प्राप्ति-शीर्ष में जमा किया जाएगा ।
- **12. लेखा एवं लेखा परीक्षण** ।- (1) आयोग का वित्तीय वर्ष किसी कैलेण्डर वर्ष के एक अप्रील से प्रारंभ होकर अगले कैलेण्डर वर्ष की इकतीस मार्च को समाप्त होगा ।
- (2) आयोग द्वारा अपने प्राप्ति-व्यय का सम्यक् अभिलेखीकरण किया जाएगा और आयोग के लेखा के सम्यक् संधारण का विशिष्ट उत्तरदायित्व आयोग के सदस्य-सचिव का होगा ।

अध्याय- ${f V}$

- 13. **शक्तियों का प्रत्यायोजन ।-** (1) प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में, आयोग के अध्यक्ष को राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष की शक्ति होगी ।
- (2) आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सदस्यों में से एक सदस्य को परीक्षा नियंत्रक का कर्त्तव्य एवं दायित्व तथा अन्य सदस्यों में से किसी एक सदस्य को आयोग के प्रशासनिक शाखा का कर्त्तव्य एवं दायित्व सौंप सकेंगें।

- 14. **नियमावली∕विनियमावली बनाने की शक्तियाँ I** (1) इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु, यदि आवश्यक हो, राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति होगी ।
- (2) आयोग, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, कार्य-प्रिक्किया संचालन नियमावली, विज्ञापनों के प्रकाशन, लिखित परीक्षाओं के संचालन, व्यक्तित्व जाँच/मौखिक परीक्षाओं, शारीरिक क्षमता जाँच परीक्षाफलों के प्रकाशन, एवं अन्य चयन प्रिक्किया, यदि कोई हो तो, आदि के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु विनियमावली बना सकेगा।
- 15. नियमावली का विधान मंडल के समक्ष रखा जाना I- राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिनों की अविध के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी तथा यदि उस सत्र के या पूर्वीक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाय या दोनों सदन सहमत हो जाय कि ऐसा नियम नहीं बनना चाहिए, तब वह नियम केवल उक्त संशोधन तक ही प्रभावी होगा या यथास्थिति निष्प्रभावी हो जायेगा। किन्तु नियम के ऐसे संशोधन या निष्प्रभावी होने से उक्त अधिनियम के अधीन किया गया किसी कार्य की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 16. **कठिनाईयों का निराकरण एवं निरसन I-** (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर, इस अधिनियम के प्रावधानों के यथोचित कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु, अधिसूचना द्वारा, ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो ।
- (2) इस अधिनियम के आरंभ के बाद एक वर्ष के भीतर, इस अधिनियम के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में यदि कोई शंका उत्पन्न हो तो उसका निराकरण राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विधि विभाग के परामर्श से कर सकेगी ।
- (3) इस अधिनियम के हिंदी एवं अंग्रेजी पाठ में कोई अन्तर प्रकट हो तो हिन्दी पाठ का अभिभावी प्रभाव होगा ।
- 17. **अविशष्ट मामले ।-** इस अधिनियम से संबंधित सभी अथवा कोई भी अविशष्ट मामला राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित किया जाएगा ।
- 18. **निरसन एवं व्यावृत्ति ।-** (1) इस अधिनियम की धारा-10 के अधीन आयोग को अंतरित मामलों तथा इस अधिनियम द्वारा आयोग को सौंपे गए संवर्गीय पदों हेतु चयन संबंधी मामलों की सीमा तक, संबंधित विभागों के नियुक्ति संबंधी आयोग∕पर्षद् के नियमों एवं नियमावली के संगत प्रावधान इस अधिनियम के आरंभ की तिथि से निरसित किये जाते हैं ।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, संबंधित विभागों के नियुक्ति संबंधी आयोग⁄पर्षद् के पूर्व नियमों एवं नियमावली के संगत प्रावधान के द्वारा की गयी चयन की कोई भी कार्रवाई वैध मानी जायेगी मानों उक्त कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गयी हो ।

अनुसूची बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली परीक्षाओं से संबंधित पदों की सूची :-

	सूचा :-				
क्र0	पद का नाम	विभाग	ग्रेड-पे		
1	2	3	4		
1	पुलिस अवर निरीक्षक	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 4200		
2	प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 4200		
3	कम्पनी कमांडर (गृहरक्षा वाहिनी)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 4200		
4	फायर स्टेशन ऑफिसर (अग्निशाम पदाधिकारी)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 4200		
5	आशु अवर निरीक्षक	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 4200		
6	आशु सहायक अवर निरीक्षक (सीधी भर्ती)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 2800		
7	टंकक सहायक अवर निरीक्षक (सीधी भर्ती)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 2800		
8	आशु सहायक अवर निरीक्षक (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 2800		
9	टंकक सहायक अवर निरीक्षक (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 2800		

葬 0	पद का नाम	विभाग	ग्रेड-पे
1	2	3	4
10	अ०नि० (एम०कैडर)	विशेष शाखा	₹ 4200
		(गृह विभाग)	
11	स०अ०नि० (एम०कैंडर)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 2400
12.	लिपिक (पुलिस विभाग के क्षेत्रीय स्थापनों के)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 1900
13.	अ.नि.(बेतार)	वितंतु, गृह विभाग	₹ 4200
14.	अ.नि. (तकनीकी)	वितंतु, गृह विभाग	₹ 4200
15.	सहायक अधीक्षक (गृह कारा)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 4200
16.	पुलिस अवर निरीक्षक	निगरानी विभाग	₹ 4200
17.	अवर निरीक्षक (उत्पाद एवं मद्य निषेध)	उत्पाद एवं मद्य	₹ 4200
		निषेध विभाग	
18.	वनपाल	वन एवं पर्यावरण	₹ 4200
		विभाग	
19.	प्रवर्तन अवर निरीक्षक	परिवहन विभाग	₹ 4200

नोट :- राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना द्वारा संलग्न अनुसूची में नये पद को सिम्मिलित अथवा किसी पद को अनुसूची से विलोपित किया जा सकेगा ।

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, सरकार के सचिव।

6 अप्रील 2016

सं० एल०जी०-01-07/2016/65-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामिहम राज्यपाल द्वारा 5 अप्रील 2016 को अनुमत **बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016** का निम्निलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, सरकार के सचिव।

[Bihar Act 6, 2016] Bihar Police Sub-ordinate Services Commission Act, 2016 AN ACT

Preamble. - to constitute the "Bihar Police Sub-ordinate Services Commission" for selection of the candidates to the post of Group 'C' of the Home (Police) Department and posts of other departments under the State Government of Bihar for which physical measurement/test or ability test is mandatory and for selection of the candidate for such other posts.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty seventh year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I

- **1.** *Short title, Extent and Commencement.* (1) This Act may be called 'The Bihar Police Sub-ordinate Services Commission Act, 2016'.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may publish the same, by notification, in the official Gazette.
 - 2. Definitions.- In this Act, unless any thing is repugnant to the subject or context. -
 - (i) "Act" means 'The Bihar Police Sub-ordinate Services Commission Act, 2016;
 - (ii) "Commission" means, Bihar Police Sub-ordinate Services Commission constituted under this Act;
 - (iii) "State Government" means 'The State Government of Bihar;
 - (iv) "Schedule" means schedule appended to this Act.

CHAPTER-II

- **3.** *Constitution of Commission.* The Bihar Police Sub-ordinate Services commission shall be constituted consisting of the following:-
 - (i) Chairman.— Home (Police) Department, Government of Bihar shall appoint or nominate a retired or serving officer of the rank of Director General of Police or Additional Director General of Police as Chairman.
 - (ii) Members.—
 - (a) Home (Police) Department, Government of Bihar shall appoint or nominate two retired or serving officers of Home(Police) Department of the rank of Inspector General of Police or Deputy Inspector General of Police or Superintendent of Police as members.
 - (b) One of the two members will be nominated as "Member-Secretary" by the Chairman.
 - (c) Home (Police) Department of the State Government shall nominate a maximum of 2 (two) members from other department such as, Home Department, Environment and Forest Department, Registration Excise & Prohibition Department, Transport Department and Disaster Management Department.

Among these members, at least one member shall be from minority community and one member shall be from Scheduled Caste /Scheduled Tribe.

4. Tenure of chairman and Members of the Commission.— The tenure of the Chairman and Members of the Commission shall be three years or till attainment of their age as sixty eight years, whichever is earlier;

Provided that, in special circumstances, the tenure of the chairman or the member may be further extended for such period as may be determined by the State Government;

Provided further that if the State Government is reasonably satisfied that continuance of Chairman or any Member or all Members in the Commission is against the public interest or causing inconvenience in functioning of the Commission, the chairman or and such any other member or all members may be discharged from their posts by the State Government before the completion of the determined tenure.

- 5. Age limit of Chairman and Members of the Commission.— The maximum age-limit of the Chairman or Members of the Commission at the time of appointment shall be 65 (Sixty five) years.
- **6.** Headquarter and Administrative Department of the Commission.— The Headquarter of the Commission shall be situated in Patna and Home(Police) department shall be the Administrative department of the commission.
- 7. Sub-ordinate officers and Employees.— For conduct of business of the Commission, posts of Sub-ordinate officers and employees will be created and terms and conditions of their service will be in conformity with the rules made by The State Government under this Act.

CHAPTER-III

- **8.** Services Cadres and Posts for which the Commission may recommend for Appointment.— (1) The Commission may select and recommend for appointment to all cadres and posts of Group C having designated 'uniform' and prescribed physical ability and efficiency tests as well as such other posts having maximum Grade Pay upto rupees 4200/- in the different departments under the State Government as mentioned in the appended schedule.
- (2) The Schedule of the Act may be amended time to time by the Home(Police) department by notification, if required.
- **9.** *Selection Procedure.*—(1) The Commission shall select the candidates for appointment to cadre posts, enumerated in the appended schedule according to the prescribed procedure under the service cadre rules of respective posts/departments;

Provided that in absence of service cadre rules for any post, the Commission shall select the candidates for such post according to the prescribed procedure adhered in the examination rules for selection by the commission with prior approval of the State Government.

- (2) The Commission may hold a Combined Competitive Examination for posts with similar eligibility criterion.
- 10. Transfer of Pending Selection Process Related to Cadre Posts of Group C.— Selection process shall be completed by the "Bihar Police Sub-ordinate Services Commission" for the appointment to all such cadre posts as mentioned in the appended schedule of this Act, in respect of which the advertisement has not been issued or published by the Bihar Staff Selection Commission or Bihar Technical Staff Selection commission or any other Commission or Board;

Provided that the selection process shall be completed by such other respective Commission or Board for appointment to all such cadre posts as mentioned in the appended schedule of this Act, in respect of which the advertisement has been issued or published by any other Commission or Board till the date of commencement of this Act.

CHAPTER-IV

- **11.** *Financial Provisions.* (1) All expenditures incurred for functioning of the Commission shall be borne by the State Government.
- (2) The Commission shall charge examination fee from the candidates as determined by the State Government, from time to time for conduct of competitive examinations which shall be deposited in the appropriate Receipt- Head in the State Treasury by the Commission.
- **12.** *Accounts and Audit.* (i) Financial year of the Commission shall begin from 1st April of a calendar year and shall end on 31st March of the next calendar year.
- (ii) All documents related to receipts and expenditures shall be maintained properly by the Commission and the Member Secretary of the Commission shall be solely responsible for the same.

CHAPTER-V

- **13.** Delegation of Powers.— (1) The Chairman of the Commission shall have the powers of Head of Department of State Government in administrative and financial matters.
- (2) Chairman of the Commission may entrust the duties and responsibilities of Examination controller to one of the member and the duties and responsibilities of Administrative Branch of the Commission to another member.
- **14.** *Powers to make rules/regulations.* (1) The State Government shall have power to make rules to carry out the provisions of this Act, if required.
- (2) The commission may frame regulations for publication of advertisement, conduction of written examinations, personality test/viva-voce test, publication of result and other selection procedures, if any, with prior approval of State Government.
- 15. To Lay the Rules on the floor of Legislature.— Every rule made by the State Government shall be laid before each house of the State Legislature immediately in the session, called for minimum fourteen days or which may comprise one session or two or more successive sessions or the successive session and if before the adjournment of the earlier session, immediately following the session or the successive session aforesaid if both houses agree in making any modification in the rule or disagree the rule thereafter will have effect only in such modified form or

be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the legal validity of anything done previously under that rule.

- **16.** Removal of Difficulties and Interpretation.— (1) If any difficulty arises in carrying out the provisions of this Act, the State Government within one year after the commencement of this Act, may, by notification, make such provisions, not in consistent with the provisions of this Act for removing such difficulties.
- (2) if any doubt arises in respect of interpretation of any provisions of the Act within one year after the commencement of this Act, the State Government may remove the same by notification in consultation with the law department.
- (3) if any differences appears in Hindi version and English version of this Act, the Hindi version shall have overriding effect.
- **17.** *Residual Matters.* All or any residual matters related to this Act shall be disposed off by the State Government according to the provisions of this Act.
- **18.** Repeal and savings.— (1) Subject to the limit of the matter transferred under section 10 of this Act and the matter assigned to the Commission for selection to cadre posts by this Act, the relevant provisions of the rules/regulations of the concerned Commission /Board related with the appointment in the concerned department shall stand repealed from the date of commencement of this Act.
- (2) Notwithstanding this repeal any action of selection taken by the Commission /Board under the relevant provisions of the rule/regulation of the concerned Commission/Board shall be deemed to be legal, as if, the said actions was taken under this Act.

SCHEDULE
List of posts for which Examination is to be conducted by Bihar Police Sub-ordinate
Services Commission

Sl. No.	Name of post	Controlling Department	Grade Pay
1	2	3	4
1	Sub Inspector of Police	Home (Police) Deptt.	Rs. 4200/-
2	Reserve Sub Inspector (Seargent)	Home (Police) Deptt.	Rs. 4200/
3	Company Commander (Home Guard)	Home (Police) Deptt.	Rs. 4200/
4	Fire Station officer(Fire extinguisher officer)	Home (Police) Deptt.	Rs. 4200/
5	Steno Sub-Inspector	Home (Police) Deptt.	Rs. 4200/
6	Steno Asstt. Sub-Inspector (Direct Recruitment)	Home (Police) Deptt.	Rs. 2800/-
7	Typist Asstt. Sub-Inspector (Direct Recruitment)	Home (Police) Deptt.	Rs. 2800/
8	Steno Asstt. Sub-Inspector (Limited Competitive Examination)	Home (Police) Deptt.	Rs. 2800/
9	Typist Asstt. Sub-Inspector (Limited Competitive Examination)	Home (Police) Deptt.	Rs. 2800/
10	Sub-Inspector (M- Cadre)	Special Branch (Home Deptt.)	Rs. 4200/-
11	Asstt. Sub-Inspector (M-Cadre)	Home (Police) Deptt.	Rs. 2400/-
12	Clerk (Field formations.)	Home (Police) Deptt.	Rs. 1900/-
13	Sub-Inspector (Wireless)	Wireless (Home Deptt.)	Rs. 4200/-
14	Sub-Inspector (Technical)	Wireless (Home Deptt.)	Rs. 4200/-

Sl. No.	Name of post	Controlling Department	Grade Pay
1	2	3	4
15	Asst. Superintendent (Home Prison)	Home (Police) Deptt.	Rs. 4200/-
16	Sub-Inspector of Police	Vigilance Deptt.	Rs. 4200/-
17	Sub-Inspector	Registration, Excise and Prohibition Deptt.	Rs. 4200/-
18	Forester	Forest and Environment Deptt.	Rs. 4200/-
19	Enforcement Sub-Inspector	Transport Deptt.	Rs. 4200/-

Note:- New posts may be included in and any post deleted from the appended Schedule by the State Government by notification.

By order of the Governor of Bihar, SANJAY KUMAR, Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 283-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in